जिला–सीतामढ़ी।
न्यायालयः– अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी, पुपरी।

पंजीयन सं0–538/2019
सामान्य पंजी संख्या–538/2019
विचारण पंजी संख्या–1886/2025

उपस्थितिः– विवेक कुमार,
अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी,
पुपरी।

निर्णय, दिनांक– 18वीं जून, 2026

सरकार द्वारा नगीना देवी, पति–मदन सिंह, साकिन–पथराही, थाना–बाजपट्टी, जिला–सीतामढी। .....सूचिका।
बनाम्

01. मनीष कुमार, पिता–उमेश सिंह अनुमानित उम्र....38 वर्ष
02. ललिता देवी, पिता/पति–उमेश सिंह अनुमानित उम्र....56 वर्ष
सभी साकिन–पथराही, थाना–बाजपट्टी, जिला–सीतामढ़ी।.....अभियुक्तगण।

आरोप अंतर्गत धारा– 341, 323, 324, 325, 504, 506/34 भा0द0वि0
अभियोजन की ओर सेः–विद्वान् अभि0पदा0 श्री उमेश कुमार एवं सौरभ सोलंकी
बचाव पक्ष की ओर सेः– अभिषेक कुमार, विद्वान् अधिवक्ता।

निर्णय

उपरोक्त अभियुक्त को दिनांक–02.03.2023 को धारा–341, 323, 324, 325, 504, 506/34 भा0द0वि0 के अंतर्गत आरोप का सारांश कर हिन्दी में पढ़कर सुनाया–समझाया गया। अभियुक्त अपने को निर्दोष बताये तथा वाद विचारण का दावा किये।

02. संक्षेप में, अभियोजन वाद यह है कि दिनांक 18.04.2019 को मनीष कुमार सूचिका के धरारी के जमीन पर लगा सोहजन तोड़ रहा था। तब सूचिका ने कहा कि सोहजन काहे तोड़ रहे हो। इसी बात पर गाली गलौज सूचिका के साथ किया जाने लगा एवं सूचिका नगीना देवी के पुत्र अरूण सिंह को जान मारने के नियत से उनके माथे पर फरसा चलाया, जिससे सर से काफी खून गिरने लगा तथा ललिता देवी ने सूचिका के कान से सोने का बाली अठनी भर निकाल लिया। इसी आधार पर बाजपट्टी थाना कांड संख्या–119/2019 अंकित हुआ।

03. अनुसंधानोंपरांत् अनुसंधानकर्त्ता ने आरोप–पत्र न्यायालय में समर्पित किया तथा इस वाद में दिनांक 16.01.2020 को धारा–341, 323, 324, 325, 504, 506/34 भा0द0वि0 के अंतर्गत संज्ञान् लिया गया। संज्ञानोंपरांत् अभियुक्त की उपस्थिति पूर्ण होने के पश्चात् आरोप का गठन किया गया, तत्पश्चात् वाद साक्ष्य हेतु नियत रहा।

04. साक्ष्योंपरांत् अभियुक्त का ब्यान धारा–313 दं. प्र. सं. के अंतर्गत अभिलिखित किया गया। अभियुक्त अपने को निर्दोष बताया तथा सफाई में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये।

लगातार/–

05. अब न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय विन्दू यह है कि क्या अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित आरोपों को युक्ति–संगत संदेहों से परे साबित करने में सफल रहा है अथवा नही ?

मंतव्य

06. अभियोजन की ओर से अपने वाद के समर्थन में किसी भी साक्षी को न्यायालय में प्रस्तुत कर परीक्षित नहीं कराया गया है।

07. उभय पक्षों का बहस सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि इस वाद में आरोप–पत्र में पांच साक्षियों का नाम अंकित है, लेकिन अभियोजन की ओर से किसी भी साक्षी को न्यायालय में परीक्षीत नहीं कराया गया है और न ही इसका कोई कारण ही बताया गया है। इस वाद में सूचक और अनुसंधानकर्त्ता जैसे महत्वपूर्ण साक्षी परीक्षित नहीं हुए हैं, जबकि अभियोजन को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु दिनांक–13.04.2023 से दिनांक–05.06.2026 तक का पर्याप्त समय अनेकों तिथियॉ देकर प्रदान किया गया है। इस तरह यह एक साक्ष्यविहीन वाद है जिसमें न्यायालय के पास अभियुक्त को दोषमुक्ति के सिवा अन्य कोई विकल्प नहीं है।

इस तरह उपरोक्त विवेचनोंपरांत् यह न्यायालय यह पाती है कि अभियोजन अभिुक्त के विरूद्ध आरोपित आरोपों को युक्ति–संगत संदेहों से परे सिद्ध करने में पूर्णतया विफल रहा है। अतः अभियुक्तगण–01. मनीष कुमार 02. ललिता देवी को धारा–341, 323, 324, 325, 504, 506/34 भा0द0वि0 के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त जमानत पर हैं, उन्हें तथा उनके जमानतदारों को भी बंध–पत्र के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत

अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी,
पुपरी।
18.06.2026.

अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी,
पुपरी।
18.06.2026.